न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर, जयपुर

आसीन अधिकारी : प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0
अपील पत्र सं0 201/18
निर्णय दिनांक : 03.07.2018

1. सुमीर पुत्र स्व0 कजोड़मल जाति जाट नि0 तिबारिया पंचायत बस्सीनागा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फुलेरा मु0 सांभरलेक
2. अर्जुनलाल पुत्र स्व0 कजोड़मल जाति जाट नि0 तिबारिया पंचायत बस्सीनागा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
3. प्रहलाद पुत्र स्व0 कजोड़मल जाति जाट नि0 तिबारिया पंचायत बस्सीनागा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र बाबत दुरूस्ती बाबत्

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 व 3 परस्पर भायन्दा भाई है व स्व0 कजोड़मल पुत्र कानाराम की जांयदा संताने है। आराजी ख0नं0 22/1 रकबा 17 बीघा 4 विस्वा, ख0नं0 10/1 रकबा 6 बीघा 2 विस्वा वाकै ग्राम तिबारिया तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 व 3 की कब्जें काश्त व खातेदारी की है जो कि उन्हे विरासत में प्राप्त हुई है पूर्व में यह खातेदारी प्रार्थी के पिता स्व0 कज्जूराम पुत्र कानाराम के नाम खातेदारी में दर्ज थी उसके फौत होने पर उक्त आराजीयात फौती नामान्तकरण सं0 248 के द्वारा दिनांक 10.05.86 को नामान्तकरण तस्दीक होने पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 व 3 के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हुई। स्व0 कजोड़मल के निधन पर विरासत का नामान्तकरण भरते समय प्रार्थी का नाम नामान्तकरण में सुमीर की जगह सहवन से राजाउमर पुत्र कज्जूराम लिख दिया गया व प्रार्थी के पिता का नाम कजोड़मल उर्फ कज्जूराम था व चूकिं ग्रामीण अंचल मे शब्दों के अपभ्रंश होने की वजह से कजोड़मल को कज्जूराम पुकारते थे जबकि उक्त नामान्तकरण में प्रार्थी का नाम सुमीर व पिता का नाम कजोड़मल राजस्व रिकोर्ड में अंकित करना चाहिए था वरवक्त नामान्तकरण प्रार्थी का जन्म हुआ था ओर वह नाबालिक था उक्त त्रृटि सहवन से हुई है जिसको दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी के सभी स्कूल के सरकारी दस्तावेज में सुमीर नाम अंकित है आधारकार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट, कालेज की मार्कशीट में भी सुमीर नाम अंकित है राजाउमर नाम का व्यक्ति कोई अन्य नहीं होकर प्रार्थी ही है जो कि कजोड़मल की संतान है अन्य कोई राजकुमार अथवा राजाउमर के नाम का व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी को सुमीर के नाम से ही जाना जाता है सुमीर चौधरी व राजकुमार राजाउमर नाम का प्रार्थी एक ही व्यक्ति है जो कजोड़मल की संतान है लेकिन राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी का नाम राजकुमार दर्ज होने से व स्कूल रिकोर्ड व अन्य दस्तावेज में

उप अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

सुमीर अंकित होने से उसे उसकी स्वामित्व की सम्पति के अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ता है व काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है काफी कानूनी अड़चने पैदा हो रही है इसलिए उपरोक्त वर्णित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी का नाम राजकुमार की जगह सुमीर पुत्र कजोड़मल किया जाना न्यायोचित होगा अन्य सहखातेदारगण को उक्त दुरूस्ती किये जाने में आपत्ति नहीं है। वर्तमान में राजस्थान सरकार के आदेशों के अन्तर्गत न्याय आपके द्वार योजना के अन्तर्गत केम्प ग्राम डेहरा में दिनांक 31.05.18 को प्रार्थी ने उपरोक्त राजस्व में दुरूस्ती के लिये पटवारी हल्का से निवेदन किया तो उन्होंने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने हेतु निर्देशित किया अतः यह आवेदन पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 2 व 3 की तरफ से वकील श्री मनोज कुमावत ने वकालतनामा व इकबाली जवाब दावा पेश किया। वकील प्रार्थी उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो नामान्तकरण सं0 248 दिनांक 10.05.86 को भरते समय मृतक कज्जूराम की विरासत में प्रार्थी का बचपन में बोलचाल का नाम अंकित हो गया लेकिन शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड वगै0 के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खं0नं0 22/1 रकबा 7 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 10/1 रकबा 6 बीघा 2 विस्वा वाके ग्राम तिबारिया तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 मे अर्जुनलाल प्रहलाद, राजाउमर पि0 कज्जूराम जाति जाट नि0देह0 के स्थान पर "अर्जुनलाल प्रहलाद सुमीर पि0 कजोड़मल जाति जाट नि0 ग्राम तिबारिया" दर्ज कर दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार फुलेरा को राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2018 को खुले न्यायालय में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक